प्रेषकः

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग– 2 देहरादूनः दिनांक 07 सितम्बर, 2017

विषयः **उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (Peri-urban areas) में "परिणाम आधारित कार्यक्रम" [Program for Results: (PforR)] के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुधार हेतु उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना (UWSP) की अवधारणा तैयार की गयी है, जिसमें कि कार्यदायी संस्थाओं की क्षमताओं का विकास भी किया जायेगा। इसमें विश्व बैंक की भूमिका कार्यक्रम में नवीनता लाने तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सराहनीय कार्यों को उत्तराखण्ड में भी प्रयोग किये जाने का प्रयास किया जायेगा। उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने हेतु विश्व बैंक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार पेयजल आपूर्ति, सेवा आपूर्ति के सम्बन्ध में सुधार, नियोजन प्रकिया में मजबूती लाना तथा सैक्टर संस्थाओं की क्षमताओं के विकास में सहयोग करना है। उक्त कार्यक्रम की लागत रू0 975 करोड़ (US$ 150 Mn.) तथा अवधि 06 वर्षो (2018–2024) होगी, जिसमें विश्व बैंक (IBRD) द्वारा रू0 780 करोड़ (US$ 120 Mn.) का सहयोग तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 195 करोड़ (US$ 30 Mn.) का अंशदान किया जायेगा। विश्व बैंक द्वारा आगामी 06 वर्षों हेतु रू0 780 करोड़/US$ 120 Mn. (IBRD Loan) का सहयोग किया जायेगा जो कुल लागत का 80 प्रतिशत अंश होगा। **विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों** (Peri-urban areas) **में "परिणाम आधारित पेयजल कार्यक्रम** [Program for Results: (PforR)] के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कार्यदायी संस्थाओं का क्षमता विकास हेतु निम्नवत् प्रतिबन्धों/नीतियों के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. विश्व बैंक राज्य सरकार के उक्त पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के वित्त पोषण में सहयोग 06 वर्षों (2018-2024) तक करेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा निम्न दो गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जायेगा :–
   (अ) अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में परिणाम आधारित कार्यक्रम (PforR) के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं पेयजल आपूर्ति में सुधार करना।
   (ब) परियोजना निवेश वित्तपोषण (IPF) के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रबन्धकीय व्यय/क्षमताओं का विकास करना।
2. उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना का उद्देश्य "उत्तराखण्ड राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं तक पहुंच बढाने में सुधार करना" है। बेहतर पेयजल आपूर्ति से आशय भारत सरकार के पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुसार न्यूनतम 16 घण्टे पेयजल-आपूर्ति करना, वितरण क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर 12 मीटर औसत दाब के अनुसार वर्ष में कम से कम 300 दिन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, इसमें प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित क्षेत्र आपदा से प्रभावित घोषित न किया गया हो।

2– **मुख्य परिणाम क्षेत्रः** विश्व बैंक (IBRD) से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 780 करोड़ (US $120 मिलियन) से 577000 जनसंख्या को बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम

दो मुख्य परिणाम क्षेत्रों (Result areas) पर केन्द्रित रहेगा जो कि परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देगाः (अ) **परिणाम क्षेत्र 1:** उत्तराखण्ड राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं तक पहुंच बढाने में सुधार करना (ब) **परिणाम क्षेत्र 2:** राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु सुधारात्मक नीति, नियोजन और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करना।

3— **जनगणना नगर की परिभाषाः**

❖ भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार ऐसें क्षेत्रों को जनगणना नगर में परिभाषित किया गया है, जिनमें निम्न विशेषताए (Characterstics) हों:—

✓ न्यूनतम जनसंख्या 5000

✓ कम से कम 75% पुरूष आबादी गैर कृषि कार्यों में सेवायोजित हो

✓ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 400

उपरोक्त मानकों के आधार पर राज्य में कुल 41 जनगणना नगर चिन्हित किये गये थे।

❖ **उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अर्द्धनगरीय क्षेत्र की परिभाषाः** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्द्धनगरीय क्षेत्र को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है:—

✓ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कम से कम 200 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व,

✓ नगर पालिका या शहरी स्थानीय निकाय की मौजूदा सीमा से 10 किलोमीटर हवाई दूरी (aerial distance) के भीतर स्थित हो,

✓ दिनांक 1 अप्रैल, 2016 तक वैधानिक शहर में उच्चीकृत या विलय नहीं किया गया हो।

4— **उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित अर्द्धनगरीय क्षेत्रः** उत्तराखण्ड राज्य का दृष्टिकोण है कि शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक पेयजल आपूर्ति वर्ष 2030 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक प्राप्त कर ली जाए तथा वर्ष 2019 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। यह भारत सरकार के दृष्टिकोण और लक्ष्यों के अनुरूप ही हैं। उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता वाले अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही पेयजल सुविधा उपलब्ध हो।

उपर्युक्त वर्णित मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड में कुल 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्र हैं, जिनमें से 31 जनगणना नगर (जनगणना 2011 के अनुसार) एवं 04 जनगणना नगर की अर्हताएं पूर्ण करने वाले क्षेत्र है, इस प्रकार अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाओं के सुधार हेतु नवीनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है:—

- ***जनपद टिहरी*** *का 01 क्षेत्र यथा 1. ढालवाला*
- ***जनपद देहरादून*** *के कुल 11 क्षेत्र यथा 1. हरिपुर कलां 2.जीवनगढ 3. सेन्टरल होप टाउन 4. रायपुर 5. नत्थनपुर 6. मेहूवाला माफी 7. नथुवावाला, 8. ऋषिकेश देहात 9. गुमानीवाला 10. प्रतीतनगर 11. खर्क माफी*
- ***जनपद नैनीताल*** *के 07 क्षेत्र यथा 1. फतेहपुर रेंज 2. मुखानी 3. हल्द्वानी तल्ली 4. बिटोरिया नं0 1, 5. कुसुमखेड़ा 6. बमोरी तल्ली बन्दोबस्ती 7. गौजाजली उत्तर*
- ***जनपद हरिद्वार*** *के 08 क्षेत्र यथा 1.सैदपुरा 2. भंगेरीमैहबतपुर 3. नागला इमरती 4. ढंढेरा 5. मोहनपुर मोहम्मदपुर 6. रावली महदूद 7. बाहदराबाद 8. जगजीतपुर*
- ***जनपद उधम सिंह नगर*** *के 05 क्षेत्र यथा 1. उमरउ खुर्द 2. महोलिया 3. बंडिया 4. कंचल गुसांई तथा 5. नागल*
- ***जनपद अल्मोड़ा*** *1 खतियारी*
- ***जनपद पौड़ी*** *के 1.पदमपुर तथा 2. कासीरामपुर*

5— **कार्यदायी संस्थाओं के मध्य कार्यक्षेत्र का आवंटनः** अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में नवीनतम पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में किया जायेगा। उत्तराखण्ड़ जल संस्थान द्वारा जनपद देहरादून के मेहूवाला माफी को छोड़ते हुये 10 क्षेत्रों में तथा उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम द्वारा अन्य 25 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कार्य किया जायेगा।

6— **कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थाऐं:**

1. **राज्य स्तर:** प्रस्तावित परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं नीति निर्धारण हेतु निम्न व्यवस्थाएं होंगी:—

- **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:** प्रस्तावित परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं नीति निर्धारण हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नोडल विभाग होगा।
- **कार्यक्रम समन्वय सलाहकार समिति (Program Coordination Advisory Committee):** उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होगे:—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन	—	अध्यक्ष
2.	संयुक्त अधिशासी अधिकारी,, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून	—	सदस्य सचिव
3.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून	—	सदस्य
4.	मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून	—	सदस्य
5.	वित्त नियंत्रक, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन(एस0डब्लू0एस0एम0)	—	सदस्य
6.	प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता सिचाई विभाग (जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर से कम न हो)	—	सदस्य
7.	प्रतिनिधि निदेशक नगर विकास विभाग (जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो)	—	सदस्य
8.	प्रतिनिधि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण (जो अधिशासी अभियन्ता से कम स्तर न हो)	—	सदस्य
9.	मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	—	सदस्य

- इस कार्यक्रम समन्वय सलाहकार समिति की 3 माह में कम से कम एक बैठक आहूत की जायेगी। यह समिति अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में गतिमान विभिन्न कार्यक्रमों का अभिसरण (convergence) हेतु अंतः संस्थागत समन्वय (Intra Institutional Coordination) करेगी तथा परियोजना के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में योजनाओं को पूर्ण करने की समीक्षा करेगी व सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करेगी।
- **राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (State Water & Sanitation Mission):** वर्तमान कार्यों (ग्रामीण क्षेत्रों) में निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के साथ—साथ अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं हेतु भी नीति निर्धारण, मार्गदर्शन तथा सलाहकारीय कार्य करने का उत्तरदायित्व होगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) की मार्गनिर्देशिका (guideline) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. **राज्य स्तरीय कार्यक्रम सहयोग इकाई (State Program Support Unit: SPSU):** राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन एक शीर्ष (Apex) संस्था राज्य स्तरीय कार्यक्रम सहयोग इकाई (State Program Support Unit: SPSU) का गठन किया जायेगा। इस इकाई के कार्य निम्नवत होंगे—

- ✓ विश्व बैक सहायतित उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (Peri-urban areas) में निर्मित पेयजल योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समय—समय पर करना।
- ✓ राज्य स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त पेयजल संबधी गतिविधियों का समन्वय करना।
- ✓ कार्यदायी संस्थाओं में स्थापित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों (Program Implementation Unit) के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रबन्धन।
- ✓ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, गतिविधियों का आयोजन करना।
- ✓ विभिन्न बैठकों के लिये कार्यावली विवरण (Agenda) तैयार करना तथा बैठकों से सम्बन्धित सभी आवश्यक पत्राचार करना।
- ✓ परिणाम आधारित कार्यक्रम की नीतियों (Program for Results) को लागू किये जाने हेतु क्रियान्वयन के साथ उनका अनुश्रवण करना।
- ✓ मध्यावधि विकास कार्यक्रम व अन्य योजनाओं से प्राप्त धनराशि हेतु निर्धारित वित्तीय प्रवाह व्यवस्था का अनुश्रवण करना।
- ✓ प्रतिपूर्ति के दावों को विश्व बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करना।
- ✓ उत्तरांखण्ड़ पेयजल निगम एवं उत्तरांखण्ड़ जल संस्थान द्वारा चलाये जा रहे परिणाम आधारित कार्यक्रम (Program for Results) का सम्प्रेक्षण (Audit) तथा स्वतंत्र सत्यापन संस्था (Independent Verification Agency) के माध्यम से संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) का सत्यापन कराना।
- ✓ परियोजना से सम्बन्धित अन्य अध्ययन जैसे Mid Term Review, Project End Review, Impact Evaluation अध्ययन हेतु स्वतंत्र सलाहकरीय फर्म की नियुक्ति करना एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर नीति में आवश्यक सुधार हेतु राज्य सरकार को संस्तुत करना।
- ✓ क्षमता विकास एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों का संचालन करना: कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न हितभागियों (stakeholders) के प्रशिक्षण, क्षमता विकास, प्रचार–प्रसार एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों को स्वजल पाठशाला के माध्यम से सम्पादित करना।

3. **कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (Program Implementation Unit- PIU):**

- कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई– राज्य स्तर पर पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तरांखण्ड जल संस्थान के अधीन समर्पित प्रकोष्ठ (dedicated cell) जिसे कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (Program Implementation Unit-PIU) कहा जायेगा का गठन किया जायेगा। प्रत्येक कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान) द्वारा अभिनव प्रयोगो को अपनाते हुये Design, Build & Operate आधारित प्रणाली पर पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जायेगा तथा पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी पांच से दस वर्ष तक उसी ठेकेदार की होगी, जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया हो। अपवाद स्वरूप ऐसे क्षेत्र जिनमें पेयजल योजनाओं का निर्माण Design, Build & Operate प्रणाली के आधार पर साध्य (feasible) नही होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:–
  - ✓ Design, Build & Operate मॉडल के आधार पर कम से कम दो बार निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त भी ठेकेदार उपलब्ध नहीं हुए हैं
  - ✓ Design, Build & Operate मॉडल वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है
  - ✓ यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि राज्य सरकार एवं कार्यदायी संस्था के मध्य निष्पादन अनुबन्ध के अनुरूप लक्ष्यों एवं विश्व बैंक द्वारा निर्धारित संवितरण बद्ध संकेतकों के लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किया जायेगा।
  - ✓ शासन से स्वीकृति उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग में वर्तमान प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुसार योजनाओं का विरचन करना एवं योजना निर्माण के उपरान्त संचालन एवं रखरखाव कार्य कराया जायेगा।
  - ✓ इन समर्पित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में परिणाम आधारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने हेतु क्षमतावान, उपयोगी, कर्मठ, कार्यशील, प्रस्तावित परियोजना के संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) के अनुसार लक्ष्यों को ससमय प्राप्त करने में सक्षम एवं योग्य कर्मियों की तैनाती की जायेगी।

✓ यह इकाई प्रस्तावित परियोजना के संवितरण बद्ध संकेतकों (Disbursement Linked Indicators) को ससमय एवं निर्धारित बजट के साथ प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा विभिन्न गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करने हेतु भी उत्तरदायी होगी। यह इकाईयां कार्यक्रम अवधि तक कार्य करेंगी।

- मुख्यालय स्तर पर गठित की जाने वाले प्रकोष्ठ कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (Program Implementation Unit- PIU) में यथाआवश्यकता विभागीय उत्तराखण्ड पेयजल निगम की स्थिति में मुख्य अभियन्ता (पदेन), उत्तराखण्ड जल संस्थान की स्थिति में महाप्रबन्धक (पदेन), अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वित्तीय प्रबन्धन विशेषज्ञ, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ, लेखाकार/सहायक लेखाकार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि रखे जायेंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई पर होने वाला व्यय तकनीकी सहायता घटक से वहन किया जायेगा। कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई को सहयोग प्रदान करने हेतु यथाआवश्यक डिजाईन एवं पर्यवेक्षण सलाहकर फर्म (Design & Supervision firm) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो कि परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों को तैयार करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगी और संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. **<u>जनपद स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु फील्ड क्रियान्वयन इकाई:</u>** कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फील्ड क्रियान्वयन इकाई (Field Implementation Unit) गठित की जायेगी। फील्ड क्रियान्वयन इकाई एक समर्पित इकाई होगी, जिसमें कि परिणाम आधारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने हेतु क्षमतावान, उपयोगी, कर्मठ, कार्यशील, प्रस्तावित परियोजना के संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) के अनुसार लक्ष्यों को ससमय प्राप्त करने में सक्षम एवं योग्य कर्मियों की तैनाती की जायेगी। यह इकाई प्रस्तावित परियोजना के संवितरण बद्ध संकेतकों (Disbursement Linked Indicators) को ससमय प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा विभिन्न गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करने हेतु भी उत्तरदायी होगी। फील्ड क्रियान्वयन इकाई में आवश्यकता अनुसार अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता की तैनाती कार्यदायी संस्थाओं से की जायेगी एवं अन्य कार्मिक जैसे सहायक लेखाकार जिसे टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी हो तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों हेतु एम0आई0एस0 विशेषज्ञ वाह्य स्रोत के माध्यम से नियुक्त किये जायेंगे। जनपद स्तर पर फील्ड क्रियान्वयन इकाई पर होने वाला व्यय को डी0पी0आर0 में सम्मिलित किया जायेगा। यह व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सैन्टेज के सीमान्तर्गत ही होगा।

<u>7– राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई एवं जनपद स्तरीय फील्ड इकाई पर प्रशासनिक नियंत्रण:</u>

1. प्रस्तावित परियोजना परिणाम आधारित कार्यक्रम (Program For Results) के सिद्धान्त पर क्रियान्वित की जानी है। विश्व बैंक द्वारा परियोजना में वित्त पोषण संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) के आधार पर किया जायेगा।

   अतः कार्यहित एवं जनहित में यह अपरिहार्य है कि पेयजल योजना का निर्माण मित्तव्ययी (Cost effective) आधार पर समयसीमा (Timeline) के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता (High quality) के साथ पूर्ण किया जाए। इस परियोजना के समस्त कार्यों हेतु कार्यक्रम निदेशक (Program Director) उत्तरदायी होंगे।

2. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के संवितरण बद्ध संकेतकों के लिए कार्यक्रम निदेशक उत्तरदायी होंगे। अतः कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संवितरण बद्ध संकेतकों को समयबद्ध प्राप्त करने हेतु यह व्यवस्था आवश्यक है कि पेयजल निगम एवं जल संस्थान में गठित समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई एवं फील्ड इकाई में तैनात अभियन्ताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एस0यू0 का होगा।

3. पेयजल निगम एवं जल संस्थान के समर्पित पी0आई0यू0 स्तर पर तैनात अभियन्ताओं का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के समीक्षक अधिकारी कार्यक्रम निदेशक एवं स्वीकृत अधिकारी अध्यक्ष, कार्यक्रम सलाहकारीय समिति/सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन होंगे।
4. पेयजल निगम एवं जल संस्थान के समर्पित एफ0आई0यू0 स्तर पर तैनात अभियन्ताओं का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्वीकृति अधिकारी कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एस0यू0 होंगे।
5. एस0पी0एस0यू0 के अधीन नये अस्थायी पदों का सृजन किया जायेगा। कार्मिकों का चयन उनकी क्षमता, दक्षता के आधार पर राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।
6. राज्य स्तर पर एवं जनपद स्तर पर समर्पित इकाईयों का गठन सितम्बर, 2017 तक किया जायेगा।

8– कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियां:

1. **गतिविधि 1: अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल सेवा स्तर में सुधार हेतु निष्पादन आधारित वित्त पोषण:** भारत सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित सेवा स्तर मानकों को प्रस्तावित परियोजना में भी अपनाया जायेगा। अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में सेवा स्तर में सुधार हेतु उन्नत जलापूर्ति सेवाओं को प्राप्त करने के लिए निष्पादन आधारित (performance based financing) वित्त पोषण का यह कार्यक्रम समर्थन करेगा। पेयजल योजनाओं में पाईप नेटवर्क एवं जल संयोजन पर मीटर लगाने की व्यवस्था होगी, जिससे संचालन और प्रबन्धन में सुधार तथा वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत पहलुओं के सम्बन्ध में और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की स्थायित्व बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार नई योजनाओं के निर्माण, विस्तार और मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जल स्रोतों में वृद्धि/सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
2. **गतिविधि 2: अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु नीति नियोजन तथा अनुश्रवण सुदृढीकरण हेतु प्रोत्साहन व्यवस्था:** यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित की गयी सेवा स्तर आधारित पेयजल नीति को प्रोत्साहित करने में सहयोग करेगा। इस नीति का सम्बन्ध मुख्यतः अर्द्धनगरीय क्षेत्रों से होगा तथा इसके अन्तर्गत वर्तमान अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली को सशक्त करना जिससे कि अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की ससमय व विश्वसनीय पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्रित किया जा सके। अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु मास्टर प्लान को तैयार करने एवं अपनाने के उपरान्त तथा पेयजल सेवाओं की बेहतर नियोजन व्यवस्था करना भी कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिस हेतु समर्पित प्रोत्साहन धनराशि निश्चित की जायेगी।

9– कार्यक्रम लागत एवं वित्त पोषण: कार्यक्रम की अवधि 06 वर्ष तथा लागत रू0 975 करोड़ (US$ 150 Mn.) होगी। जिसमें विश्व बैंक (IBRD) द्वारा रू0 780 करोड़ (US$ 120 Mn.) का सहयोग तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 195 करोड़ (US$ 30 Mn.) का अंशदान किया जायेगा। विश्व बैंक द्वारा आगामी 06 वर्षों हेतु रू0 780 करोड़/US$ 120 Mn. (IBRD Loan) का सहयोग किया जायेगा जो कुल लागत का 80 प्रतिशत अंश होगा। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली धनराशि का अधिकांश भाग 92 प्रतिशत रू0 715 करोड़ (US$ 110 Mn.) धनराशि पूर्व निर्धारित गतिविधियों 1 एवं 2 के अन्तर्गत लक्षित परिणामों के प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। कुल धनराशि में से अवशेष 8 प्रतिशत (रू0 65 करोड़ (US$ 10 Mn.) का उपयोग तकनीकी सहायता मद में उल्लिखित विशिष्ट गतिविधियों में निवेश कार्यक्रम वित्तपोषण के मानकानुसार किया जायेगा।

1 अनुमानित कार्यक्रम लागत

1. अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में सुदृढ पेयजल आपूर्ति सेवाओं हेतु निष्पादन आधारित वित्त पोषण तथा बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं हेतु सुदृढ नीति, नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 877.50 करोड़ (US$ 135 Mn.)
2. पेयजल आपूर्ति सेवाओं हेतु तकनीकी एवं प्रबन्धकीय क्षमता विकास हेतु तकनीकी सहायता (TA) कार्यक्रम रू0 97.50 करोड़ (US$ 15 Mn.)
3. कुल लागत रू0 975 करोड़ (US$ 150 Mn.)

2. **कार्यक्रम के वित्तीय स्रोत**

1. **विश्व बैंक** (IBRD) **अंशः** कुल रू0 780 करोड़ (US$ 120 Mn.) जिसमें से अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं हेतु निष्पादन आधारित वित्त पोषण तथा सुदृढ नीति, नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु प्रोत्साहन रू0 715 करोड़ (US$ 110 Mn.) एवं तकनीकी सहायता (TA) कार्यक्रम रू0 65 करोड़ ;US$ 10 Mn.)
2. **उत्तराखण्ड सरकार का अंशः** रू0 195 करोड (US$ 30 Mn.) जिसमें से अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति सेवाओं हेतु निष्पादन आधारित वित्त पोषण तथा सुदृढ नीति, नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु प्रोत्साहन रू0 162.5 करोड (US$ 25 Mn.) तथा तकनीकी सहायता (TA) कार्यक्रम रू0 32.5 करोड़ (US$ 05 Mn.)

3. परिणाम आधारित कार्यक्रम" [Program for Results: (PforR)] का अभिप्रायः निम्नवत है:–

1. विश्व बैंक द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र सत्यापन इकाई (IVA) से सत्यापन उपरान्त धनराशि संवितरित (disburse) की जायेगी।
2. कार्यक्रम प्रकियाओं एवं हितकारको (stakeholders) की क्षमता में विकास करना जिससे कि कार्यक्रम के परिणामों को सरलता से प्राप्त किया जा सके।
3. विश्व बैंक द्वारा उधारकर्ता (भारत सरकार) के कार्यक्रमों का वित्त पोषण एवं सहयोग करना
4. राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिणाम आधारित कार्यक्रम" [Program for Results: (PforR)] की नीति के अनुसार विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि का सदुपयोग किया जायेगा तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण और सामाजिक मामलों पर यथाआवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10– **संवितरण बद्ध संकेतक** (Disbursement Linked Indicators) **के अन्तर्गत धनराशि का आवंटनः** कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक संवितरण बद्ध संकेतक की महत्ता के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के साथ सहमति के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जायेगा। प्रत्येक संवितरण बद्ध संकेतक को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। कुल परिणाम आधारित कार्यक्रम की धनराशि रू0 715 करोड़ (USD 110 million) की 70 प्रतिशत धनराशि का आवंटन अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था सुधार (संवितरण बद्ध संकेतक 1 तथा 2) हेतु और 30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन (संवितरण बद्ध संकेतक 3, 4 तथा 5) बेहतर नीति, नियोजन एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने हेतु की जायेगी।

1. संकेतक 1 – अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में उन्नत पेयजल आपूर्ति सेवाएं प्राप्त करने वाले निजी जल संयोजनों की संख्या (रू0 293 करोड़: USD 45 Mn.)
2. संकेतक 2 – अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में उन्नत पेयजल आपूर्ति प्रणाली (कुल योजना सुधार अंक अथवा टी0एस0आई0 अंक के आधार पर किया जायेगा (रू0 208 करोड़: USD 32 Mn.)
3. संकेतक 3 – अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखण्ड शासन की पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए उन्नत नीति (रू0 65 करोड़: USD 10 Mn.)
4. संकेतक 4 – अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड शासन की पेयजल आपूर्ति के लिए सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (रू0 85 करोड़: USD 13 Mn.)
5. संकेतक 5 – अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए अनुमोदित मास्टर प्लानों की संख्या (रू0 65 करोड़: USD 10 Mn.)
6. DLI के अन्तर्गत कुल संवितरण लागतः रू0 715 करोड़: USD 110 Mn.
7. DLI 1 तथा 2 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को स्थानान्तरित की जायेगी जबकि DLI 3, 4 तथा 5 की धनराशि राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग हेतु रखी जायेगी।

11– **<u>कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न व्यय सम्मिलित होंगे:–</u>**

(अ) पेयजल योजनाओं का पुर्नगठन/पुनरोद्धार।
(ब) नयी पेयजल योजनाओं का निर्माण।
(स) जल मापक यंत्र उपलब्ध कराना।

(द) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों के सैन्टेज की लागत।

(य) DLI 3, 4 तथा 5 से सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन, सलाहकारीय सेवाएं, कार्यालय व्यय, अधिष्ठान, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सहित इत्यादि

संवितरण बद्ध संकेतक (Disbursement Linked Indicators) (DLI) सत्यापन प्रोटोकॉलः– प्रत्येक DLI का सत्यापन प्रोटोकॉल ऑपरेशन मैनुअल में विस्तृत रूप से दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सहमत DLI का सत्यापन स्वतंत्र रूप से एक वाह्य संस्था द्वारा किया जायेगा जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित किया जायेगा। विश्व बैंक द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान प्रत्येक DLI का साक्ष्य के आधार पर समीक्षा की जायेगी। कार्यक्रम के अधिकांश परिणामों के सत्यापन हेतु आवश्यक डाटा उत्तराखण्ड सरकार के वर्तमान एम0आई0एस0 तथा सैक्टर संस्थाओं द्वारा वर्तमान में अपनायी जा रही व्यवस्थाओं के आधार पर ही किया जायेगा। कार्यक्रमों के उन परिणामों हेतु जिनकी सैक्टर संस्थाओं द्वारा नियमित रिपोर्टिंग नहीं की जाती उनकी विशिष्ट रिर्पोटिंग हेतु सत्यापन प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा।

12– **उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अग्रिम वित्त पोषणः** राज्य सरकार बजट के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध करायेगी और व्यय का अग्रिम भुगतान करेगी। राज्य सरकार प्रथम दो वर्षो में अग्रिम रूप से दो किश्तों में रू0 195 करोड (USD 30 Mn.) की धनराशि उपलब्ध करायेगी जिससे कि परियोजना गतिविधियों को संचालन करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध रहे। राज्य सरकार DLI प्राप्त करने के उपरान्त विश्व बैंक से भुगतान हेतु दावा करेगी। DLI भुगतान राज्य सरकार में प्राप्त होने के पश्चात उसे पैरा 11 में वर्णित पद्धति के आधार पर आगे स्थानान्तरित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु धनराशि का व्यय राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई, पेयजल निगम, जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्त में राज्य द्वारा DLI के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि तथा वास्तविक व्यय को मिलान किया जायेगा और व्यय के सापेक्ष कम एवं अधिक व्यय होने पर तदानुसार धनराशि समायोजित की जायेगी।

13– **वित्तीय प्रवाहः** विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक DLI के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकार को अवमुक्त की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई के माध्यम से DLI 1 और 2 की धनराशि पेयजल निगम एवं जल संस्थान को उनके प्रगति के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। तरलता बनाये रखन की दृष्टि से विश्व बैंक से संवितरण (disbursement) प्राप्त होने के पश्चात परियोजना गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु धनराशि यथाशीघ्र कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित की जायेगी। DLI के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का समायोजन अन्तिम वर्ष में मिलान किया जायेगा और अन्तर होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता के अनुसार समायोजन किया जायेगा। राज्य सरकार एवं जल निगम/जल संस्थान के मध्य होने वाले निष्पादन अनुबन्ध के अनुसार ही धनराशि स्थानांतरित की जायेगी। यह निष्पादन अनुबंन्ध राज्य सरकार का तंत्र होगा जिसके आधार पर जल निगम एवं जल संस्थान को हस्तान्तरित किये जाने वालें निष्पादन जोखिम का आधार होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस धनराशि का उपयोग चिन्हित क्षेत्रों में व्यय किया जायेगा। DLI 3, 4 और 5 को पूर्ण करने की जिम्मेदारी राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की है, इसलिए इन DLI के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपने पास रखी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग सैक्टर से सम्बन्धित अध्ययनों, क्षमता विकास, कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नयी योजनाओं का निर्माण एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु किया जायेगा।

14– **विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थित तकनीकी सहायता घटक** (Technical assistance)

1. **विश्व बैंक समर्थित तकनीकी घटक**

(i) **तकनीकी और कार्यक्रम प्रंबधन सहयोगः**– राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन एक शीर्ष (Apex) संस्था राज्य कार्यक्रम सहयोग इकाई (State Program Support Unit: SPSU) का गठन किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम सहयोग इकाई द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम से

सम्बन्धित गतिविधियां करायी जायेंगी जिसमें नियोजन, समन्वय, उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम का प्रबन्धन और क्रियान्वयन आदि सम्मिलित होंगे। राज्य कार्यक्रम सहयोग इकाई द्वारा कार्यक्रम से सम्बन्धित नीतियां तैयार करना, क्षमता विकास, अनुश्रवण और संचार रणनीतियों का पर्यवेक्षण करना। इस इकाई द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित DLI का तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र सत्यापन कराने का कार्य भी किया जायेगा। पेयजल निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाओं पेयजल निगम तथा जल संस्थान का उत्तरदायित्व योजनाओं के परिचालन का होगा जिस हेतु उनके द्वारा मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई और जनपद/डिवीजन स्तर पर फील्ड क्रियान्वयन इकाईयों का गठन किया जायेगा। एस0पी0एस0य0 तथा पी0आई0यू0 के प्रबन्धन का वित्त पोषण तकनीकी सहायता उपघटक के माध्यम से किया जायेगा तथा एफ0आई0यू0 के प्रबन्धन का वित्त पोषण DLI के माध्यम से (DPR में अधिकतम 12.5 प्रतिशत) प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु कार्यक्रम सलाहकारीय समिति गठित की जायेगी। इस घटक के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है:– (अ) राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम सहयोग इकाई (SPSU) का गठन जिसके पास पर्याप्त संख्या में सैक्टर से सम्बन्धित विशेषज्ञ हों एवं पर्याप्त संसाधन मौजूद हों, (ब) जल निगम/जल संस्थान के मुख्यालय स्तर पर पी0आई0यू0 का गठन।

(ii) **<u>कार्यक्रम नियमन एवं जवाबदेही को सुदृढ बनाना</u>**

(अ) इस उपघटक के अन्तर्गत कार्यक्रम के परिणामों, तकनीकी वित्तीय ऑडिट एवं स्वतंत्र सत्यापन में वित्त पोषण किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन के पश्चात धनराशि अवमुक्त की जायेगी इसलिए कार्यक्रम हेतु स्वतंत्र सत्यापन संस्था का चयन करना। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण कराना, वित्तीय ऑडिट हेतु संस्थाओं का चयन करना। शिकायत निवारण तंत्र एवं नागरिकों के साथ वचनबद्धता गतिविधियों को मजबूत करना एवं राज्य सरकार तथा कार्यदायी संस्थाओं के मध्य निष्पादन अनुबन्ध तैयार करने एवं क्रियान्वयन करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रथम छः माह में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (GRM) स्थापित की जायेगी। इसके उपरान्त इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की जायेगी। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कार्यक्रम क्रियान्वयन से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे व्यक्तिगत शिकायतें एवं बार–बार आने वाले मुद्दों का मूल्यांकन इत्यादि करना होगा। इसमें योजना से सम्बन्धित प्रत्येक स्तर की शिकायतों से सम्बन्धित आंकड़ो को व्यापक रूप से समाहित किया जायेगा। इस प्रणाली का मुख्य केन्द्रबिन्दु गरीब और कमजोर वर्ग (एस0सी0, एस0टी0 और महिलाओं) की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष प्रावधान होगा।

(स) नागरिक वचनबद्धता कार्यक्रम के अन्तर्गत नागरिकों से फीडबैक, सूचना शिक्षा संचार (IEC) व्यवहार परिवर्तन संचार (Behaviour Change Communication: BCC) गतिविधि, जागरूकता कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रकटीकरण और सूचना के प्रसार से सम्बन्धित गतिविधियां तकनीकी सहायता घटक से वित्त पोषित किये जायेंगे। कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेख, रिपोर्ट अधिप्राप्ति प्रकियाओं को सरकार/कार्यक्रम की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। कार्यक्रम के एम.आई.एस. के माध्यम से डाटा एवं सूचनाएं पारदर्शी रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(द) इस उपघटक के अन्तर्गत निम्न क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय शामिल है:–

1) स्वतंत्र सत्यापन एजेन्सी की पहचान एवं नियुक्त करना।
2) तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसी की पहचान व नियुक्त करना।
3) तकनीकी ऑडिट करने वाली फर्म की पहचान व नियुक्त करना।
4) वित्तीय ऑडिट करने वाली फर्म की पहचान व नियुक्त करना।
5) कार्यक्रम के निर्माण/परिचालन चरण हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

6) नागरिक वचनबद्ध कार्यक्रम का सूत्रपात करना।

2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तकनीकी सहायता घटकों (Technical Assistance Component) हेतु निम्न गतिविधियों में वित्त पोषण किया जायेगा

i) तकनीकी सहायता और अध्ययन

(अ) राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णयों को लिये जाने हेतु पेयजल क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययनों में तकनीकी, संस्थागत, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह घटक कार्यक्रम के नियोजन से सम्बन्धित क्षमता विकास करना जैसे मूलभूत सर्वेक्षण, लोक निजी सहभागिता (PPP) के सम्बन्ध में आवधारणा एवं विकल्प की नीति तथा कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सम्मिलित होंगे। कुछ विशिष्ट अध्ययन जिसमें वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं की स्वायतता, उत्तरदायित्व, संचालन में दक्षता इत्यादि से सम्बन्धित चुनौतियों को भी सहयोग किया जायेगा।

(ब) पेयजल सुविधाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यवाही की जायेगी। अभियन्ताओं अन्य तकनीकी कार्मिकों को तकनीकी मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा जिसमें विशेष रूप से डिजाइन, ड्राइंग एवं प्राक्कलन की गुणवत्ता में सुधार हेतु जिसमें मुख्यतः 16x7 पेयजल आपूर्ति तंत्र से सम्बन्धित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए तैयार किया जायेगा। वित्तीय प्रबन्धन मैनुअल में वित्तीय प्रवाह और लेखाकरण की प्रकिया को लिपिबद्ध करने के साथ–साथ सभी कार्यदायी संस्थाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही अधिप्राप्ति मैनुअल, संविदा मैनुअल आदि तैयार कराये जायेंगे जिनका उपयोग पेयजल सैक्टर के कार्मिकों की क्षमता वृद्धि करने में उपयोग किया जायेगा। पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा पेयजल योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु क्षमता वृद्धि के दृष्टि से मानक संचालन प्रणाली (Standard Operating Procedures) विकसित किये जायेंगे।

(स) इस उपघटक के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों हेतु भी वित्त पोषण उपलब्ध है (क) अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में परियोजना से पूर्व अवस्थित परिवारों, संस्थाओं एवं अन्य सूचनाओं का आधारभूत सर्वेक्षण कराना (ख) अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु लोक निजी सहभागिता–नीति एवं ढांचा का अध्ययन कराना (ग) अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी मैनुअल तैयार कराना (घ) कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रबन्धन मैनुअल तैयार करना (ड) कार्यक्रम हेतु अधिप्राप्ति मैनुअल तैयार करना (च) स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तैयार करना एवं लोक निजी सहभागिता हेतु समझौता सलाहकार (Transaction Advisor) की सेवाएं लेना।

ii) कार्यदायी संस्थाओं की क्षमता विकास करना:

(अ) कार्यदायी संस्थाओं की क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे एवं स्वजल पाठशाला को सशक्त किया जायेगा। स्वजल पाठशाला में मानव संसाधान विकास, सूचना तकनीकी, विधि सलाहकार, सूचना शिक्षा एवं संचार, सामाजिक एवं पर्यावरण विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषय विशेषज्ञों, संविदा कार्मिकों एवं सलाहकारों को तैनात किया जायेगा।

(ब) इस उपघटक के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जायेगा:– (क) स्वजल पाठशाला का सशक्तिकरण, (ख) आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम के हितकारकों हेतु क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम का बजट एवं विश्व बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा समर्थित घटक

तकनीकी सहायता कार्यक्रम घटक	धनराशि रू0 लाख में	धनराशि यू.एस.डी. मिलियन में
विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी सहायता घटक		
अः तकनीकी एवं कार्यक्रम प्रबन्धन सहयोग	4550	7.0
बः प्रशासन एवं उत्तरदायित्व सशक्तिकरण	1950	3.0
कुल विश्व बैंक तकनीकी सहायता घटक	**6500**	**10.0**
राज्य सरकार द्वारा समर्थित तकनीकी सहायता घटक		
सः अध्ययन एवं तकनीकी मूल्यांकन	880	1.35
दः कार्यदायी संस्थाओं का क्षमता विकास	2370	3.65
कुल राज्य सरकार तकनीकी सहायता घटक	**3250**	**5.00**
कुल तकनीकी सहायता कार्यक्रम	9750	15.00

15– **जल मूल्य निर्धारणः** उत्तराखण्ड शासन द्वारा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कार्यदायी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के आवंटन के साथ–साथ जल मूल्य निर्धारण नीति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है, जो समय–समय पर परिवर्तनीय है।

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के मानकों के अनुरूप किया जायेगा इसलिए जल मूल्य का निर्धारण शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के अनुरूप ही आरोपित किया जायेगा।
2. शहरी क्षेत्र में वर्तमान समय में लागू प्रति किलोलीटर जल मूल्य की दरें गुरूत्व योजनाओं हेतु रू0 6.40 हेतु, लौ हैड हेतु रू0 8.80 और हाई हैड हेतु रू0 10.00 लागू होगें। (लो हैड से आशय 100 मीटर पम्पिंग तथा हाई हैड से आशय 100 मीटर से अधिक पम्पिंग)
3. जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बिना जल मापक यंत्र के की जायेगी ऐसे क्षेत्रों में जल मूल्य निर्धारण फ्लैट रेट आधार पर लागू होंगे।
4. जल मूल्य का निर्धारण पेयजल उपयोग की मात्रा के आधार पर किया जायेगा तथा पेयजल मूल्य में वृद्धि प्रत्येक वर्ष 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत वार्षिक किराया मूल्य बढोतरी के आधार पर किया जायेगा।
5. शहरी क्षेत्रों की जल मूल्य दरें प्रस्तावित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजना निर्माण पूर्ण होने की तिथि से लागू होंगी।
6. प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रों में जल मूल्य का निर्धारण योजना पूर्ण होने की तिथि से प्रभावी होगा। जल मूल्य दिनांक 1.4.2017 से प्रभावी हैं, जो निम्नवत हैः–
   जिन क्षेत्रों में सम्पति कर का मूल्यांकन नहीं किया गया है में प्रभावी पेयजल मूल्य (रू0 में)

क्रं. सं.	विवरण	प्रभावी तिथि 1.4.2017		
		गुरूत्व	लो हेड	हाई हेड
1	एक टोंटीयुक्त जल संयोजन	78.10	85.20	93.14
2	दो टोंटीयुक्त जल संयोजन	95.14	106.50	127.20
3	तीन टोंटीयुक्त जल संयोजन	136.80	170.24	205.20
4	चार व चार से अधिक टोंटीयुक्त जल संयोजन	170.24	200.20	228.00

7. राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अधिनियम– 24, वर्ष 2013 के अनुसार राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औधौगिक, पेय, विधुत और अन्य प्रयोजन के लिए राज्य

जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू–स्वामियों के बाढ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 गठित किया गया है। इस अधिनियम के उपबंध उत्तरी भारत नहर और जल–निकास अधिनियम 1873 और उत्तरप्रदेश जल संभरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होगें।

8. उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा–12 (अध्याय– तीन) की उपधारा (ढ़ एवं ण) में प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य के (उपधारा–ढ़) प्रशासन, प्रचालन, अनूरक्षण, ह्रास और राज सहायता सहित समसत लागतों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात जल के उपयोग के लिये जल टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना, (उपधारा–ण्) समय–समय पर टैरिफ/जल प्रभारों की समीक्षा करना और उनका पुनरीक्षण करना में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जल शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित व्यवस्था अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाली पेयजल योजनाओं में लागू होगी। अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा। उत्तरप्रदेश जल संभरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड जल संस्थान को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तथा राजस्व प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रदत्त अधिकार जैसे उपभोक्ताओं को बिल निर्गत करना, जलशुल्क आरोपित करना, जल शुल्क एकत्रित करना, उत्तराखण्ड पेयजल निगम पर भी लागू होंगे। उत्तराखण्ड पेयजल निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जल संयोजन एवं विच्छेदन शुल्क आदि के सम्बन्ध में एकसमान नीति तैयार की जायेगी।

9. कतिपय अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में जल शुल्क उपभोक्ताओं के आर्थिक सामर्थ्य स्तर (Affordable level) की सीमा से अधिक होने पर संचालन एवं रखरखाव हेतु वांछित धनराशि (financial gap) को राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर राज सहायता (Subsidy) से वहन करने का निर्णय लिया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान जल संयोजन में जल मापक यंत्र स्थापित किये जायेगें तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले नये जल संयोजनों में भी जल मापक यंत्र लगाये जायेंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन की अवधि में स्थापित किये जाने वाले पुराने एवं नये जल संयोजनों में जल मापक यंत्र की लागत का वहन कार्यक्रम मद से किया जायेगा। कार्यक्रम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त पेयजल योजना के रखरखाव की अवधि में जल मापक यंत्र खराब होने की स्थिति में उसके बदलने एवं मरम्मत करने पर होने वाला व्यय ऑपरेटर द्वारा बिना किसी अग्रिम लागत के ठीक किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा यदि जल मापक यंत्र को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उक्त दशा में जल मापक यंत्र की पुर्नस्थापना का सम्पूर्ण व्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

10. कार्यक्रम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त स्थापित किये जाने वाले जल संयोजनों में जल मापक यंत्र की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जायेगी।

16– वित्तीय एवं अधिप्राप्ति व्यवस्थाऐं

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थाएं :–

   1) प्रत्येक कार्यदायी संस्था पूरी परियोजना अवधि (06 वर्ष) हेतु वर्षवार व्यय की कार्य योजना तैयार की जायेगी जिसे त्रैमासिक स्तर पर अद्यतन किया जायेगा। प्राप्त सूचनाओं को राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई (एस0पी0एस0यू0) स्तर पर संकलित किया जायेगा।

   2) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई द्वारा पूरे कार्यक्रम का बजट वर्षवार तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रस्तावित व्यय की व्यवस्था हेतु वार्षिक बजट की मांग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रेषित की जायेगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई द्वारा संवितरण बद्ध संकेतकों के अन्तर्गत अवमुक्त

की जाने वाली धनराशि को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जायेगा। कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के साथ मध्यावधि बजट तैयार किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (Program Management Information System) तैयार की जायेगी जिसमें पेयजल योजनाओं के प्रारम्भ से समापन तक की सूचना जिसे बजट प्रणाली के साथ जोड़ा जायेगा ताकि योजनाओं का अनुश्रवण किया जा सके।

3) परिणाम आधारित निवेश (PforR investment) एवं निवेश कार्यक्रम निधि (Investment Program Funding) के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि को राज्य सरकार द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई द्वारा प्रत्येक कार्यदायी संस्था की कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (PIU) को पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु एक सप्ताह के अन्दर धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन से धनराशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर फील्ड क्रियान्वयन इकाईयों (एफ0आई0यू0) को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4) राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु पृथक से एक समर्पित बजट हैड खोला जायेगा जिसके माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि आवंटित की जायेगी। परिणाम आधारित कार्यक्रम (PforR) के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यदायी संस्थाओं के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट की व्यवस्था ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि के 60 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण साक्ष्यों सहित उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराने के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5) सभी संस्थाओं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई/उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु पृथक से खाता खोला जायेगा, जिससे कि कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त आय–व्यय एवं दायित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके। कार्यक्रम से सम्बन्धित फील्ड स्तर पर भी अलग लेखा–जोखा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व खोला जायेगा। पूरें कार्यक्रम की लागत रू0 975 करोड़ (यू0एस0डी0 150 मिलियन) का लेखा–जोखा अलग से रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा सह वित्त पोषित किये जाने वाली धनराशि रू0 195 करोड़ (यू0एस0डी0 30 मिलियन) की धनराशि कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में व्यय हेतु अग्रिम रूप से उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सके। संवितरणबद्ध संकेतक 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित की जायेगी जबकि अन्य संवितरणबद्ध संकेतकों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वालें अन्य व्ययों हेतु रखी जायेगी। कार्यक्रम के समापन पर राज्य द्वारा संवितरणबद्ध संकेतक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का मिलान वास्तविक व्यय से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा मिलान के उपरान्त अधिक अवमुक्त धनराशि का समायोजन एवं कम अवमुक्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

6) कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त संस्थाओ द्वारा लेखों का पुस्तकांकन टैली सॉफ्टवेयर में रखा जायेगा एवं टैली सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित लेन–देन का ही लेखा सम्परीक्षा किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों एवं उपमदों के लिए राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन/SPSU द्वारा लेखा मदों (Chart of Accounts) को बनाया जायेगा एवं प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा इन्ही लेखा मदों में लेखा विवरण दर्ज किया जायेगा। यह Chart of Accounts समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधित किये जा सकते है, जिसका अधिकार राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन/SPSU के पास निहित रहेगा।

7) सम्परीक्षण (Audit) की आवश्यकताएं: (अ) चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सभी संस्थाओं का आंतरिक सम्परीक्षा करेगा (ब) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन पूरे कार्यक्रम की एक रिपोर्ट (Consolidated program statement) और लेखा रिर्पोट तैयार करेगा। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चार्टेड एकाउटेंट नियुक्त किया जायेगा। ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष समाप्ति के 09 माह के अन्दर विश्व बैंक को प्रेषित की जायेगी।

2. प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवस्थाएं :–

1) कार्यक्रम के परिणाम आधारित कार्यक्रम (PforR) घटक के अन्तर्गत निवेश होने वाली धनराशि पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित लागू होगी। परिणाम आधारित कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार e-procurement व्यवस्था के अन्तर्गत किये जायेंगे। कार्यक्रम के तकनीकी सहायता घटकों (Technical Assistance) का व्यय विश्व बैंक अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निवेश कार्यक्रम वित्त पोषण (Investment Program Financing) लागू होगा।

2) प्रत्येक कार्यदायी संस्था कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (PIU) स्तर पर एक अधिकारी नामित/नियुक्त करेगी जो अधिप्राप्ति से सम्बन्धित गतिविधियों को पूर्ण करने, अभिलेख व सूचनाओं को संकलित करने हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यह अधिकारी परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित नहीं होगा।

3) प्रत्येक कार्यदायी संस्था 18 माह हेतु प्रोक्योरमेन्ट प्लान जिसे अर्द्धवार्षिक स्तर पर अद्यतन किया जायेगा, को तैयार करेगी, जिसे एस.पी.एस.यू. स्तर पर संकलित किया जायेगा।

4) दोनों कार्यदायी संस्थाओं (उत्तराखण्ड पेयजल निगम तथा उत्तरखण्ड जल संस्थान) द्वारा पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन Design Built and Operate पद्वति के आधार पर किया जायेगा। अपवादस्वरूप यदि किन्ही अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का निर्माण Design Built and Operate पद्वति पर किया जाना सम्भव नही होगा तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय पद्वति के आधार पर किया जायेगा। इस पद्धति के आधार पर निर्मित होने वाली पेयजल योजनाओं पर पेयजल निगम द्वारा तैयार किये गये मानक निविदा अभिलेख (Standard Bidding Document- SBD) एवं वर्किंग मैनुअल का उपयोग किया जायेगा। SBD से सम्बन्धित यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण व विवेचन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रोक्योरमेन्ट से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम उत्तरदायी होंगे। यदि अधिप्राप्ति मैनुअल और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में भिन्नता होने पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

5) अधिप्राप्ति से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित की जायेगी। शिकायत निवारण हेतु एक त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जायेगी। (अ) कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) स्तर (ब) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई स्तर (स) राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सरकार के समाधान पोर्टल के माध्यम से। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु एक शीर्ष समिति गठित की गयी है जिसमें (i) वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई (एस0पी0एस0यू0), (ii) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, (iii) महाप्रबन्धक (मुख्यालय), उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा (iv) अधिप्राप्ति विशेषज्ञ राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई (एस0पी0एस0यू0) होंगे। यह समिति अधिप्राप्ति से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण अधिप्राप्ति निवारण व्यवस्थाओं के अनुसार करेगी।

17– **योजना का संचालन एवं रखरखाव:**

1. संचालन एवं रखरखाव लागत

1) जल आपूर्ति प्रणाली के कुशल संचालन एवं रखरखाव का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को कम लागत में, पर्याप्त मात्रा में, वांछित गुणवत्ता के साथ सुविधाजनक स्थल और समय पर पर्याप्त दाब के साथ निरन्तर रूप से पेयजल उपलब्ध कराना है। संचालन (operation) का तात्पर्य है कि विभिन्न तकनीकी कर्मियों द्वारा प्रभावी ढंग से जल आपूर्ति प्रणाली घटकों का समय पर, नियमित रूप से प्रतिदिन संचालित करना। रखरखाव का अर्थ यह है कि पेयजल प्रणाली से सम्बन्धित समस्त संरचनाओं, मशीनरी, उपकरणों और अन्य सुविधाओं को इष्टतम क्रियाशील (optimum working order) में रखा जाए। संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशों के लिए एक प्रभावी संचालन एवं रखखाव से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं को शामिल करना आवश्यक है और इसका उद्देश्य कर्मियों की क्षमता में आवश्यक तकनीकी, परिचालन और प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक गाइड के रूप में काम करना है जिससे कि गुणवत्ता के स्वीकार्य मानकों के अनुसार जल आपूर्ति सेवाओं को संचालित किया जा सके।

2) पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की लागत में (i) अतिरिक्त पूर्जे (Spare Parts), फिटिंग के रिपेयर/बदलने हेतु पाईप लागत, (ii) विधुत बिल या अन्य ईधन पर होने वाले व्यय, रसायन/लुब्रिकेन्ट/उपभोज्य (consumables) वस्तुएं की लागत, (iii) वेतन की लागत (संचालन में कार्यरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक अभियांत्रिकी, प्रबन्धकीय, पर्यवेक्षण कार्मिकों का मानदेय एवं अन्य लाभ), (iv) संचालन कार्य कर रहे ठेकेदारों का भुगतान, (v) देख–रेख करने वाले कार्मिक, (vi) रखरखाव कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी, (vii) कार्मिकों की गतिशीलता हेतु वाहन व्यवस्था एवं (viii) कार्मिको हेतु संचार व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के आय–व्यय हेतु पारदर्शी तरीके से लेखा रखा जायेगा। रखरखाव लागत को उपभोक्ताओं के जल शुल्क देने के सामर्थ्य के अनुसार शहरी पेयजल मानकों के अनुसार लिया जायेगा। कतिपय अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में जल शुल्क उपभोक्ताओं के आर्थिक सामर्थ्य स्तर (Affordable level) की सीमा से अधिक होने पर संचालन एवं रखरखाव हेतु वांछित धनराशि (financial gap) को राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर राज सहायता (Subsidy) से वहन किया जायेगा।

3) अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न जलापूर्ति सेवा मानक के अनुरूप जलापूर्ति की जायेगी। मानकों का विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता की न्यूनतम अवधि: 16 घण्टे
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल गुणवत्ता
- न्यूनतम दाब: 12 मीटर पूर्व निर्धारित स्थानों पर
- प्रतिवर्ष पेयजल की उपलब्धता: न्यूनतम 300 दिन प्रतिवर्ष (अपवाद: दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र)
- ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ताओं से जल मूल्य उपयोग की गयी मात्रा के आधार पर जल शुल्क लिया जायेगा तथा जल मापक यंत्र (यदि उपभोक्ता द्वारा टूट–फूट न की गयी हो) को बदलने का उत्तरदायित्व भी ऑपरेटर का होगा।

2. **सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व:**

1) सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से यथासम्भव पेयजल की आपूर्ति प्रदान की जायेगी। यदि पेयजल आपूर्ति बाधित होती है तो अविलम्ब पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से अतिशीघ्र चालू किया जाए।

2) सेवा प्रदाता द्वारा अर्द्धनगरीय क्षेत्र के उपयुक्त स्थान पर एक उपभोक्ता सेवा केन्द्र स्थापित किया जाए जिसमें कि न्यूनतम दो समर्पित दूरभाष नम्बर होंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों को अभिलेखीकरण, दूरभाष, ई मेल, सन्देशों के माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के समुचित निराकरण हेतु प्रात 8:00 बजे से सांय 8:00 बजे तक न्यूनतम एक

कार्मिक नियुक्त करेगी। उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जायेगी।

3. **सेवा मानकः** सेवा प्रदाता संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा सेवित किये जा रहे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति हो जो निम्न दक्षता मानक पूर्ण करते हो।

क्र0स0	विवरण	टिप्पणी
1	पेयजल आपूर्ति सेवा स्तर	न्यूनतम 300 दिन यदि सेवा क्षेत्र आपदा प्रभावित घोषित नही हो
2	जल संयोजन लक्ष्य	न्यूनतम 75 प्रतिशत
3	जल मापक यंत्र स्थापना	शत् प्रतिशत क्रमांक 02 पर वर्णित जल संयोजनों में
4	पेयजल आपूर्ति अवधि	16 घण्टे प्रतिदिन
5	पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर दबाब	औसत 12 मीटर
6	प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता	100 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
7	पेयजल गुणवत्ता मानक	भारत मानक ब्यूरो 10500 के अनुसार
8	गुणवत्ता अनुपालन	100 प्रतिशत
9	पेयजल प्राप्त न होने पर निवारण का समय	48 घण्टे के अन्तर्गत
10	कम दबाव पर पेयजल आपूर्ति की शिकायत के निराकरण का समय	48 घण्टे के अन्तर्गत
11	दबाव अनुपालन	98 प्रतिशत
12	लीकैज निराकरण अवधि	48 घण्टे
13	नये संयोजन स्वीकृति समय अवधि	15 दिन के अन्तर्गत
14	पम्पिग पेयजल योजनाओं में पेयजल योजनाओं के संयत्रों में रखरखाव की समयसारणी	निर्माता फर्म के मैनुअल के अनुसार
15	उपभोक्ता संतुष्टि स्तर	कुल नमूना उपभोक्ताओं में 75 प्रतिशत

4. **अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु जल मापक यंत्र स्थापना कार्यक्रमः**

1) प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक प्रकार के जल संयोजन में यथा- घरेलू, अघरेलू, औधोगिक, व्यवसायिक, भवन निर्माण में जल मापक यंत्र स्थापित किये जायेंगे एवं उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 यथासंशोधित अन्तर्गत निर्धारित जलशुल्क के अनुसार उपयोग की गयी पेयजल मात्रा (Volumetric basis) का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार गैर शोधित (raw water) जल के मापन हेतु भी जल मापक यंत्र स्थापित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल मूल्य लिया जायेगा।

2) कार्यक्रम अवधि में उन्नत पेयजल आपूर्ति (improved water supply) से न्यूनतम 75 प्रतिशत परिवार आच्छादित किये जायेंगे तथा समस्त आच्छादित परिवारों के जल संयोजनों में जल मापक यंत्र स्थापित किये जायेंगे। जल मापक यंत्र का आकार (size) स्वीकृत आकार इस प्रकार का होगा जिससे कि न्यूनतम दाब (loss of pressure) की हानि न हो। दिनांक 1 जनवरी, 2017 के आधारभूत आंकड़ो के आधार पर विद्यमान जल संयोजनों में जल मापक यंत्र की लागत विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकांकित की जायेगी। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त स्थापित किये जाने वाले जल मापक यंत्र की लागत एवं उनकी स्थापना पर होने वाला व्यय उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जायेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा जल मापक यंत्र में टूट–फूट/क्षति पहुंचायी जायेगी उक्त दशा में जल मापक यंत्र के पुर्नस्थापना पर होने वाला व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। जल संयोजनों में शत्प्रतिशत जल मापक यंत्र स्थापना का उद्देश्य यह

है कि अपव्यय होने वाले पेयजल (Non revenue water) की मात्रा 40–50 प्रतिशत से घटाकर आगामी 06 वर्षों में 30 प्रतिशत से भी कम स्तर तक लाया जाए।

18– **अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उपभोक्ता जल संयोजन नीतिः** राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जलापूर्ति एवं जलोत्सारण नियमावली (Water Supply & Sewerage Byelaws) दिनांक 28 जनवरी, 2011 को प्रख्यापित की जा चुकी है। उक्त नियमावली में जलापूर्ति एवं जलोत्सारण सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। यह नियमावली पूरे राज्य में लागू है तथा उक्त नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि संचालन एवं रखरखाव संस्था द्वारा किस प्रकार (घरेलू, व्यवसायिक तथा औधोगिक) जल संयोजन प्रदान करना, जल संयोजन पृथक करना, शुल्क निर्धारण आदि क्रियाकलापों हेतु गतिविधियां की जायेंगी। राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित जलापूर्ति एवं जलोत्सारण नियमावली यथासंशोधित दोनों संस्थाओं– उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम पर यथावत लागू होंगी। उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्मित जल नीति पुरानी हो चुकी है। नवीनतम जल नीति 2017 तैयार करायी जा रही है जिसमें कि जल नीति से सम्बन्धित Vision Statement जिसमें जलशुल्क एकत्रीकरण, जल संग्रहण, भूजल पुर्नभरण एवं प्रबन्धन आदि सम्मिलित हैं। इस प्रस्तावित जल नीति में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगेः–

1) भवन में स्थापित होने वाले जल मापक यंत्र एवं पाईप लाईन की लागत को अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वहन किया जायेगा। भवन के अन्तर्गत जलापूर्ति पाईप लाईन (internal plumbing arrangement) व्यवस्था में होने वाला व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
2) भवन में किरायेदार (tenant) हेतु अलग जल संयोजन की अनिवार्यता होगी।
3) बहुमंजली भवनों में जितने फ्लैट होंगे उतने जल संयोजनों की गणना की जायेगी।
4) नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप जल शुल्क का आरोपण।

19– **बिलिंग और संग्रह का निहितार्थ (Implications of billing & collection):**

1) जलापूर्ति व्यवस्था में वित्तीय प्रबन्धन हेतु राजस्व प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजस्व प्रबन्धन में बिलिंग और संग्रह के साथ–साथ टैरिफ निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है।
2) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं में टैरिफ की दरें समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी। टैरिफ नियमावली में यह व्यवस्था रहेगी कि समय–समय पर उपभोक्ता मूल्य संकेतक (Consumer price index) के अनुरूप टैरिफ निर्धारण किया जायेगा।
3) जल शुल्क दरें प्रतिवर्ष संशोधित कर निर्धारित की जायेगी। जल शुल्क में स्वतः सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जायेगी। यह वृद्धि 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के मध्य होगी, जो समय–समय पर परिवर्तनीय है।
4) सभी ऑपरेटरों द्वारा कम्प्यूटर आधारित बिलिंग और संग्रह प्रणाली प्रयोग में लायी जायेगी।
5) उपयोग की गयी पेयजल की मात्रा के आधार पर समस्त जल संयोजनों को बिल भेजा जायेगा। जल शुल्क का निर्धारण समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
6) शहरी क्षेत्र में वर्तमान समय में लागू प्रति किलोलीटर जलशुल्क की दरें रू0 6.40 गुरूत्व योजनाओं हेतु, रू0 8.80 निम्न हैड और रू0 10.00 उच्च हैड लागू होगा। (निम्न हैड से आशय 100 मीटर पम्पिंग तथा उच्च हैड से आशय 100 मीटर से अधिक पम्पिंग)
7) उपभोक्ताओं का जल शुल्क बिल तैयार करना एवं बिल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। अर्थात कार्यदायी संस्थाओं पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा वर्तमान में प्रचलित प्रकिया के अनुसार जहां पर डी0बी0ओ0 ठेकेदार नियुक्त न हो में जल शुल्क बिल जारी किये जायेंगे।
8) जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण डिजाईन बिल्ड एवं ऑपरेट (Design Build Operate) प्रणाली के आधार पर किया जायेगा उक्त दशा में बिलिंग एवं संग्रह का उत्तरदायित्व

सम्बन्धित डी0बी0ओ0 ठेकेदार का होगा। अन्य मामलों में पूर्व की भांति कार्यदायी संस्था द्वारा राजस्व बिलिंग एवं संग्रह का कार्य पूर्व की भांति किया जाता रहेगा।

9) कार्यक्रम अवधि में यह प्रयास होगा कि उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ऑन लाईन भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।

20– **<u>डिजायन, बिल्ड, ऑपरेट (डी0बी0ओ0) के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता</u>**

1. कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान डिजायन, बिल्ड, ऑपरेट (डी0बी0ओ0) लोक निजी सहभागिता जहां सम्भव हो को अपनाया जाए। उक्त मॉडल के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

1) राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता (पी.पी.पी) नीति" शासनादेश संख्या 538/XXVI/2(15)/2011 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को सरकारी गजट में प्रख्यापित की जा चुकी है। इसी प्रख्यापित नीति के अनुरूप ही प्रस्तावित उत्तराखण्ड पेयजल परियोजना में यथासाध्य पेयजल योजनाओं में डिजाइन बिल्ड ऑपरेट (डी0बी0ओ0) प्रणाली को प्रयोग किया जायेगा।

2) यह सम्भव है कि प्रत्येक अर्द्धनगरीय क्षेत्र में योजना में निवेश की जरूरतें और राजस्व क्षमता कम होने के कारण कोई डी0बी0ओ0 ऑपरेटर रूचि न दिखाए। उक्त दशा में यह उचित होगा कि दोनों संस्थाओं द्वारा उनको आवंटित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में साध्यता अध्ययन से पूर्व एक त्वरित सर्वेक्षण (quick survey) कराया जायेगा जिससे कि डी0बी0ओ0 सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक अर्द्धनगरीय क्षेत्र का साध्यता अध्ययन कराया जायेगा जिससे कि न्यूनतम लागत, वित्तीय रूप से सक्षम एवं तकनीकी आधार पर डी0बी0ओ0 मॉडल का चयन किया जाना सम्भव हो सके।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन आधारित डिजायन, बिल्ड, आपरेट (डी0बी0ओ0) अनुबन्ध प्रणाली (performance linked DBO contracting framework) को अपनाया जायेगा। यह कार्य दोनों संस्थाओं द्वारा अधिकतम दो माह में पूर्ण करके औपचारिक प्रस्ताव राज्य स्तरीय कार्यक्रम सहयोग इकाई (State Program Support Unit: SPSU) के माध्यम से राज्य सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। शासन से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर डी0बी0ओ0 ठेकेदार की नियुक्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रारम्भ की जाएगी।

2. **साध्यता अध्ययन में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगाः–** कार्यदायी संस्था पेयजल निगम तथा जल संस्थान द्वारा उन्हें आवंटित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में एक नजरी सर्वेक्षण (reconnoitre survey), संकल्पनात्मक डिजायन (conceptual design) किया जायेगा। जिसमें मुख्यतः निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

1) प्रस्तावित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की जनकांकी (demographic) विशेषताओं के साथ–साथ पेयजल मांग का आंकलन करेगी।

2) वर्तमान पेयजल योजनाओं की आस्तियों की तकनीकी आयु तथा उनका भविष्य में उपयोगिता का आंकलन करना।

3) प्रस्तावित सुधार कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संकल्पनात्मक डिजायन (conceptual design) तैयार करेगी तथा योजना निर्माण हेतु सम्भावित वैकल्पिक विकल्पों का मूल्यांकन करेगी और पेयजल की मांग की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु न्यूनतम लागत वाले विकल्प के अनुसार योजना विरचन करेगी।

4) विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा पेयजल स्रोत में सुधार की आवश्यकताओं, भविष्य में पेयजल मांग की पूर्ति हेतु पेयजल स्रोत की स्थिति, क्षमता, स्थायित्व का चिन्हिकरण करेगी।

5) प्रस्तावित योजना के घटकों को तैयार करने हेतु वांछित भूमि का चिन्हिकरण तथा चिन्हित भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही पूर्ण करना जिससे कि ठेकेदार से अनुबन्ध होने के उपरान्त तत्काल भूमि उपलब्ध करायी जानी सम्भव हो सके।

6) डी0पी0आर0 का विरचन नवीनतम प्रचलित बाजार दर के आधार पर एवं हाइड्रोलिक डिजायनों के आलोक में बिल आफ क्वांटिटी (बी0ओ0क्यू0) तैयार करना

7) लोक निजी सहभागिता में चयनित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में योजना के संचालन रख–रखाव हेतु यथासम्भव 5 से 10 वर्षो हेतु सम्भावित संचालन लागत मॉड़ल तैयार करेगी, जिससे कि संवितरण बद्व संकेतक (DLI) प्रतिबद्वताओं के अनुरूप लागत वसूली के साथ जल मूल्य आंकलन सहित स्थायी सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

3. **ड़िजायन, विल्ड, आपरेट (डी0बी0ओ0) ठेकेदार/विस्तृत परियोजना आख्या (DPR) का अनुमोदनः** उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार ड़िजायन, विल्ड, आपरेटर का चयन किया जायेगा। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित क्षेत्र में डी0बी0ओ0 प्रणाली से योजना के अनुसार योजना निर्माण किया जाना है तब उस क्षेत्र की पेयजल योजना का आवधारणात्मक डिजाइन एवं विस्तृत परियोजना आख्या कार्यदायी संस्था तैयार करेगी जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भिक लागत की गणना करने हेतु बिल आफ क्वांटिटी (बी0ओ0क्यू0) तैयार किया जायेगा तथा जिसके आधार पर डी0बी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा विस्तृत परियोजना आख्या तैयार की जायेगी। जिन योजनाओं में डी0बी0ओ0 मॉडल के आधार पर पेयजल योजना निर्माण नहीं किया जायेगा उन क्षेत्रों में पेयजल योजना की डी0पी0आर0 भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार की जायेगी। अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनों की समीक्षा (Appraisal) एवं स्वीकृति (Approval) परियोजना प्रबन्धन इकाई/राज्य कार्यक्रम सहयोग इकाई (SPSU) की वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।

4. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डी0बी0ओ0 ऑपरेटर नियुक्त करने से पूर्व अधिप्राप्ति प्रबन्धन एवं अनुबन्ध किये जाने से सम्बन्धित समस्त गतिविधियां पूर्ण कर ली जाए। डी0बी0ओ0 ऑपरेटर नियुक्त करने के पश्चात निम्न गतिविधियां पूर्ण की जायेंगीः–
   1) अनुबन्ध प्रबन्धन सहित योजना का निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, और प्रगति का अनुश्रवण करना।
   2) किये गये कार्यो का मापन, भुगतान प्रमाणित करना, तथा समय पर भुगतान प्रमाणित करना।
   3) सेवा स्तर का अनुश्रवण करना तथा समय– समय पर आड़िट कराना ।

- **डी0बी0ओ0 ठेकेदार के उत्तरदायित्व।**
   1) अनुबन्धित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों का विस्तृत टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य करना।
   2) नियोक्ता द्वारा स्वीकृति के लिये विस्तृत इंजीनीयरिग रिर्पोट तैयार करना।
   3) प्रस्तावित पेयजल योजना के स्वीकृत धटको का निर्माण करना।
   4) उपभोक्ताओं के लिये संचालन, रखरखाव और सेवा प्रदान करना।
   5) नियोक्ता के एक एजेंन्ट के रूप में बिलिंग, राजस्व संग्रह और उपभोक्ता सेवाओं सहित सभी वाणिज्यिक सेवाओं का कार्य करना।
   6) लेखा, वित्तीय प्रबन्धन, निगरानी और रिपोर्टिग करना।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्वीकृत सेवा स्तरों और निर्धारित लक्ष्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ ससमय प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के पेयजल विभाग एवं उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम/उत्तराखण्ड़ जल संस्थान के मध्य एक निष्पादन अनुबन्ध (performance contract) हस्ताक्षर किया जायेगा। निष्पादन अनुबन्ध के अन्तर्गत निम्न सेवा स्तरों के निर्धारित लक्ष्य (benchmark) के अनुसार किया जायेगाः–

क्र. सं	सूचक	कार्यक्रम लक्ष्य
1	जल संयोजन से आच्छादन	75%
2	प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति	100-135 एल0पी0सी0डी0 के मध्य
3	न्यूनतम जल संयोजन पर मीटर लगाना	75%
4	गैर राजस्व जल में कमी करना	30%
5	पेयजल निरन्तरता	16 घण्टे

6	पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता	100%
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में कुशलता	80%
8	जलापूर्ति की सेवाओं की लागत वसूली	90%
9	जलापूर्ति सम्बन्धित शुल्कों को एकत्र करने में कुशलता	90%

5. प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु डी0बी0ओ0 मॉडल नीति

1) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड़ जल निगम/उत्तराखण्ड़ जल संस्थान को डी0बी0ओ0 ठेकेदार को अनुबन्धानुसार पूंजिगत धनराशि भुगतान करने हेतु अग्रिम रूप से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान दोनों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के निष्पादन एवं सत्यापन के पश्चात अनुदान धनराशि अवमुक्त करेगी। (संवितरण बद्ध संकेतकों एवं अन्य निष्पादन संकेतक– दक्षता अनुबन्ध का एक भाग होगा) यह अनुदान पांच वर्ष की अवधि के लिए घटते हुए क्रम में प्रदान किया जायेगा क्योंकि प्रत्येक संस्था का राजस्व उन्हें आवंटित क्षेत्रों में बढेगा। प्रत्येक अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु अनुदान की धनराशि व्यवसायिक प्लान के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3) रख–रखाव एवं पुनः–निवेश (Maintenance and Re-Investment Escrow) एस्क्रो (ESCROW) खाते में राज्य सरकार द्वारा रखरखाव हेतु दी जाने वाली सहायता भी सम्मिलित होगी।

4) संचालन एस्क्रो (Operations Escrow) से रख–रखाव एवं पुनः–निवेश एस्क्रो (Maintenance and Re-Investment Escrow) में मासिक आधार स्वतः स्थानान्तरण (धनराशि निर्धारण बाद में किया जायेगा) वशर्ते कि जल शूल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया हो कि जिससे रख–रखाव एवं पुनः–निवेश (Maintenance and Re-Investment) के एक अंश की पूर्ति हो सके।

6. भुगतान प्रक्रियाऐं

1) अनुबन्धानुसार निर्माण कार्यो तथा वांछित प्रगति प्राप्ति को प्रमाणित करने के पश्चात भुगतान करना।

2) समय– समय पर संचालन एवं रखरखाव कार्यो का निश्चित शुल्क भुगतान (fixed fee payments) करना।

3) समय– समय पर अनुश्रवण एवं मूल्याकन कार्यो का चर शुल्क भुगतान–variable fee payments (प्रगति बद्ध) करना ।

7. संवितरण नीति

1) विश्व बैंक द्वारा संवितरण बद्ध संकेतकों (Disbursement Linked Indicators) के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध करायेगी।

2) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के परिणामों के निष्पादन के आधार पर अनुदान दिया जायेगा (संवितरण बद्ध संकेतकों एवं अन्य निष्पादन संकेतक– दक्षता अनुबन्ध का एक भाग होगा) यह अनुदान पांच वर्ष की अवधि के लिए घटते हुए क्रम में प्रदान किया जायेगा क्योंकि प्रत्येक संस्था का राजस्व उन्हें आवंटित क्षेत्रों में बढेगा। प्रत्येक अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु अनुदान की धनराशि व्यवसायिक प्लान के आधार पर निर्धारित की जायेगी।